

120

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2014/अग्रहायण 03, 1936
No. 619] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2014/AGRAHAYANA 03, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 837(अ)—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I), में सा.का.नि. संख्यांक 38 (अ) तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (6) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

(6) श्री एस. के. महापात्रा
अतिरिक्त सचिव और विधायी सलाहकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
ए. बिल्डिंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/15/2010-पी आई]
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. संख्यांक 38 (अ) तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 684 (अ) तारीख 16 सितंबर, 2011, सा.का.नि. संख्यांक 441 (अ), तारीख 12 जून, 2012, सा.का.नि. संख्यांक 486 (अ), तारीख 21 जून, 2012, सा.का.नि. संख्यांक 810(अ), तारीख 5 नवंबर, 2012, सा.का.नि. संख्यांक 131 (अ), तारीख 1 मार्च, 2014 और सा.का.नि. संख्यांक 569 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2014 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2014

G.S.R 837(E).—In exercise of the powers conferred by section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011, namely:—

2. In the said notification, for serial number (6) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

“(6) Shri S.K. Mohapatra, —Member”
Additional Secretary and Legal Advisor
Ministry of Law and Justice,
Department of Legal Affairs,
'A' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.1/15/2010-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011, G.S.R. 441(E), dated 12th June, 2012, number G.S.R. 486(E), dated 21st June, 2012, G.S.R. 810(E), dated the 5th November, 2012, G.S.R. No. 131(E), dated the 1st March, 2014 and G.S.R. 569(E), dated the 7th August, 2014.